राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (252) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/एसओपी/ 2015–16 जयपुर, दि. 13.01.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
बीकानेर, राजस्थान।

विषयः– विभिन्न योजनान्तर्गत निर्माण/ विकास कार्यो के कियान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभाग होने की स्थिति में कार्यो के उपयोगिता/ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंगः– आपका पत्र कमांक 963 दिनांक 20.12.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिड्यूल ऑफ पॉवर परिपत्र (कमांक एफ 27 (79) ग्रावि/अनु.–5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.09.2014) के द्वारा विभाग की विभिन्न योजना में पंचायती राज संस्थाओं/ कार्यकारी विभागों द्वारा सम्पादित निर्माण कार्यो के लिये प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनिकी स्वीकृतियां/ संशोधित स्वीकृतियां, अधिक मात्रा एवं अधिक आईटम्स की स्वीकृति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र, मुल्यांकन जांच व पूर्णता प्रमाण पत्र आदि जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारीयो के लिये वित्तीय सीमा निर्धारित की हुई है।

अन्य राजकीय विभागों (कार्यकारी संस्था) के द्वारा स्वीकृत कार्यो के सम्पादन कराने की स्थिति में निर्माण कार्यो के तकमीने तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति, मुल्यांकन, उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने, गुणवत्ता नियन्त्रण, निरीक्षण, निविदा स्वीकृत करने आदि बाबत ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 13.2 में आवश्यक संशोधन/प्रावधान हेतु विभागीय पत्र कमांक 27 (255) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/विविध/ 2015–16 दिनांक 03.08.2016 एवं 20.10.2016 द्वारा संशोधन/स्पष्ट मार्ग दर्शन जारी किये गये है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभागों के द्वारा स्वीकृत कार्यो के सम्पादन कराने की स्थिति में निर्माण कार्यो के मुल्यांकन जांच एवं पूर्णता प्रमाण पत्र आदि का प्रावधान सम्बन्धित लाईन विभाग में प्रचलित प्रकिया अनुसार करवाये जा सकेगें, परन्तु कार्य की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति एवं राशि के समायोजन की प्रकिया सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देश/प्रावधान के अनुसार ही होगी।

समझन - उपरोक्तानुसार

13/1/17

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
5. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
6. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष एवं जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त राजस्थान।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण/जल संसाधन/वन विभाग।
9. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज।
11. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास विभाग।
13. वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
18. वित्तीय सलाहकार, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण विभाग।
19. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसऐपी/ईजीएस), ग्रामीण विकास।
20. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एंव सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
21. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
22. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
23. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (255) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/विविध/ 2015–16 जयपुर, दि. 20.10.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त राजस्थान।

विषयः– विधायक/ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्यो के सम्पादन बाबत।

प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दिनांक 03.08.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 13.2 में ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अन्तर्गत तैयार दर अनुसूची के आधार पर तकमीना आदि तैयार करने के प्रावधान के स्थान पर कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभागों के द्वारा स्वीकृत कार्यो के सम्पादन कराने के सम्बन्ध में प्रासांगिक पत्र द्वारा निम्न प्रावधान प्रति स्थापित किया गया है।

"**कार्यकारी संस्थाएं एवं लाईन विभाग**– कार्यकारी संस्था लाईन विभाग होने की स्थिति में कार्यों के तकमीने तैयार करने नवीन/संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने, कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यों का निरीक्षण के प्रावधान, निविदाऐं स्वीकृत करने बाबत प्रावधान संबंधित विभाग के प्रावधानों के अनुसार होंगे परन्तु कार्यों के तकनीकी मापदण्ड, प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं इनमें संशोधन डेविएशन, अतिरिक्त एवं एक्स्ट्रा आईटम अनुमत करने के प्रावधान, कार्य पूर्ण कराने की अवधि, राशि के समायोजन की प्रकिया इस निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।"

इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्य के तकमीने तैयार करने, तकनीकी मापदण्ड/स्वीकृति, इसमें संशोधन, कार्यो को मुल्यांकन, निरिक्षण/ गुणवत्ता नियंन्त्रण, निविदा स्वीकृत करने, डेविएशन, अतिरिक्त एक्स्ट्रा आईटम अनुमत करने–आदि का प्रावधान सम्बन्धित लाईन विभाग में प्रचलित प्रकिया अनुसार करवाये जा सकते हैं। परन्तु, कार्य की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति एवं राशि के समायोजन की प्रकिया सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देश/ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधान के अनुसार ही होगी।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
5. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
6. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष एवं जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण/जल संसाधन/वन विभाग।
8. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज।
10. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
13. वित्तीय सलाहकार, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण विभाग।
14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसऐपी/ईजीएस), ग्रामीण विकास।
15. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एंव सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
16. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
17. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (255) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/विविध/ 2015–16 जयपुर, दि03.08.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त राजस्थान।

विषयः– विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्यो के सम्पादन बाबत्।

विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 प्रभावी है। इस कम में स्वीकृत कार्य, जिनकी कार्यकारी एजेन्सी अन्य राजकीय विभाग यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आदि है, के तकमीने, तकनीकी स्वीकृति एवं ठेके पर संपादित कार्यो की प्रकिया के सम्बन्ध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका – 2010 के बिन्दु संख्या– 13.2 में ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अन्तर्गत तैयार दर अनुसूची के आधार पर तकमिनें आदि तैयार कराने का प्रावधान है।

'सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी संस्था अन्य राजकीय विभाग (लाईन विभाग) होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग में प्रचलित व्यवस्था के साथ–साथ ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 के उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यो के निष्पादन/कियान्वयन में आ रही समस्याओं के कम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 के बिन्दु संख्या– 13.2 में "ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अन्तर्गत तैयार दर अनुसूची के आधार पर तकमीना आदि तैयार कराने का" प्रावधान के स्थान पर 'सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिए निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

> "कार्यकारी संस्थाएं एवं लाईन विभाग – कार्यकारी संस्था लाईन विभाग होने की स्थिति में कार्यों के तकमीने तैयार करने, नवीन/संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने, कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यों का निरीक्षण के की प्रावधान, निविदाऐं स्वीकृत करने बाबत् प्रावधान संबंधित विभाग के प्रावधानों के अनुसार होंगे परन्तु कार्यों के तकनीकी मापदण्ड, प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं इनमें संशोधन, डेविएशन, अतिरिक्त एवं एक्स्ट्रा आईटम अनुमत करने के प्रावधान, कार्य पूर्ण कराने की अवधि, राशि के समायोजन की प्रकिया इस निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।"

अतः सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी संस्था लाईन विभाग होने की स्थिति में उक्तानुसार संशोधित प्रावधान के साथ संबंधित विभाग कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण भी सम्बंधित विभाग निर्धारित मापदण्ड

अनुसार ही किये जावेगे, परन्तु कार्यों के तकनीकी मापदण्ड, प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं इनमें संशोधन, डेविएशन, अतिरिक्त एवं एक्स्ट्रा आईटम अनुमत करने आदि की कार्यवाही विभाग द्वारा शिड्युल ऑफ पॉवर (परिपत्र दिनांक 17.09.2014) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे''

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
7. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र) जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण/जल संसाधन/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन सचिव/वित्तीय सलाहकार/समस्त अधीक्षण अभियंता गण, ग्रावि एवं परावि/ईजीएस।
12. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मों.एवं.मू) ग्रावि को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. अधीक्षण अभियंता पंचायती राज/ईजीएस ग्रामीण विकास विभाग।
14. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर समस्त राजस्थान।
15. अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस/अभि जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

3/11/16
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)